उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः-8/2016/1288/24-पी-2-16-सा0(73)/2016

लखनऊः दिनांकः 25 जुलाई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के आर्टिकल-90 मे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ मे सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन को निदेशक नामित करते हैं।

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्याः-8/2016/1288(1)/24-पी-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 ऊर्जा मंत्री जी (मा0 ऊर्जा मंत्री जी के सूचनार्थ)।
3- सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव/सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
6- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/ उ0प्र0 प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ एवं उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।